



2026:AHC: 162680

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 2200 वर्ष 2026

अमन

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: राजीव मालवीय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, शिव शंकर कैथल

न्यायालय संख्या - 87

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला

- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव मालवीय, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव शंकर कैथल के ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता श्री तेज ओम प्रकाश गुप्ता और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
- अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- पुनरीक्षणकर्ता अमन ने थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद में द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण (भरण-पोषण) वाद संख्या 964 वर्ष 2023 में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, फिरोजाबाद (जिसे इसके पश्चात "विचारण न्यायालय" कहा गया है) द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 31.01.2026 को चुनौती देते हुए वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया है। आक्षेपित आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 द्वारा दिए गए द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और पुनरीक्षणकर्ता को प्रार्थना पत्र की तिथि से विपक्षी संख्या 2 को 5000/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण इस आधार पर दाखिल किया गया है कि आक्षेपित आदेश प्रारंभ से ही अकृत और शून्य है और अकृतता के कारण यह अपास्त किए जाने योग्य है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश अवैध, अन्यायपूर्ण और विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है। इसे न्यायिक विवेक के उचित प्रयोग के बिना पारित किया गया है। इसलिए, यह इस न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य है।

5. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश के परिशीलन से पता चलता है कि विपक्षी संख्या 2, जो पुनरीक्षणकर्ता की नाबालिग पुत्री है, ने अपने वाद मित्र या विधिक अभिभावक के बिना स्वयं द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि वाद मित्र या विधिक अभिभावक के बिना किसी नाबालिग द्वारा स्वयं याचिका या प्रार्थना पत्र दाखिल करना सी.पी.सी. के आदेश XXXII में अंतर्विष्ट प्रावधानों के विरुद्ध है। सी.पी.सी. के आदेश XXXII का नियम 1 नीचे उद्धृत किया गया है:

"1. अवयस्क का वाद मित्र द्वारा वाद लाना - अवयस्क द्वारा प्रत्येक वाद उसके नाम से ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित किया जाएगा जिसे ऐसे वाद में अवयस्क का वाद मित्र कहा जाएगा।"

(स्पष्टीकरण - इस आदेश में, "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारतीय प्राप्तवयता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) की धारा 3 के अर्थ में प्राप्तवयता प्राप्त नहीं की है, जहां वाद उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित किसी भी मामले या किसी अन्य मामले से संबंधित है।)

6. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सी.पी.सी. के आदेश XXXII के नियम 2 के अनुसार, यदि ऐसी याचिका किसी नाबालिग द्वारा दाखिल की जाती है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह स्वप्रेरणा से एक वाद मित्र नियुक्त करे। सी.पी.सी. के आदेश XXXII का नियम 2 निम्नानुसार है:

"2. जहां वाद मित्र के बिना वाद संस्थित किया गया है, वहां वादपत्र का पत्रावली से निकाल दिया जाना - (1) जहां कोई वाद अवयस्क द्वारा या उसकी ओर से वाद मित्र के बिना

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संस्थित किया जाता है, वहां प्रतिवादी इस बात के लिए आवेदन कर सकेगा कि वादपत्र फाइल से निकाल दिया जाए और खर्च उस प्लीडर या अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाए जिसने उसे प्रस्तुत किया था।

(2) ऐसे आवेदन की सूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी, और न्यायालय, उसकी आपत्तियों (यदि कोई हों) को सुनने के पश्चात, मामले में ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे।"

7. उपरोक्त के दृष्टिगत, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय ने नाबालिग द्वारा दाखिल द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रार्थना पत्र को तय करते समय, सी.पी.सी. के आदेश XXXII के नियम 1 और 2 के प्रावधानों का पालन नहीं किया। इसलिए, आक्षेपित आदेश, जो विधि द्वारा अनिवार्य उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किया गया है, अवैध है और विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है। इसलिए, यह इस न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य है।

8. इसके विपरीत, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान ए.जी.ए. के साथ-साथ विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण का पुरजोर विरोध किया, लेकिन वे पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के पूर्वोक्त विधिक अभिकथन का खंडन नहीं कर सके।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने और अभिलेख के परिशीलन पर, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने एक नाबालिग द्वारा दिए गए द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र को तय करते समय विधि द्वारा अनिवार्य उचित प्रक्रिया का पालन न करके विधि में त्रुटि किया है। इसलिए, आक्षेपित आदेश अवैध है और विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है। यह अपास्त किए जाने योग्य है।

10. उपरोक्त के दृष्टिगत, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। पूर्वोक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 31.01.2026 एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

11. मामला नए सिरे से न्यायनिर्णयन के लिए विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह विधि द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात और दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात एक नया आदेश पारित करे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. इस स्तर पर, विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि विपक्षी संख्या 2 पुनरीक्षणकर्ता की नाबालिग पुत्री है और यह तथ्य पक्षकारों के बीच विवादित नहीं है। वह अपना जीवन यापन करने के लिए कमाने में सक्षम नहीं है। इसलिए, जब तक विचारण न्यायालय मामले में नया आदेश पारित नहीं कर देता, तब तक विपक्षी संख्या 2 को कुछ अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया जाए।

13. तदनुसार, पुनरीक्षणकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह विपक्षी संख्या 2 को 3000/- रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण के रूप में तब तक भुगतान करे जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों की आर्थिक स्थितियों पर सम्यक विचार करने के पश्चात भरण-पोषण राशि सुनिश्चित करते हुए कोई आगे का अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाता।

(न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला)

3 अगस्त, 2026

बृजेश मौर्य